

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

मुखविन्दु सिंह का-40 P

बनाम

सरजन

किस्म मुकदमा

दुरुस्ती

मुकदमा नं.

45

10/5/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/ 88 दिनांक 10/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 93P1 में प्रार्थीगण के नाम चक 40P5 की जमाबन्दी सम्वत् 2487 के खाता नं. 18 में खातेदार मुखविन्दु सिंह - दलेश सिंह के तहसीलदार के नाम मुखविन्दु सिंह है। जिसकी मुखविन्दु सिंह - दलेश सिंह के नाम पर मुखविन्दु सिंह की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 10/5/18 की पृष्ठ मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 40P5 के खाता नं. 18 में दर्ज खातेदार मुखविन्दु सिंह - दलेश सिंह के नाम पर मुखविन्दु सिंह की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर-2018
कैम्प कोर्ट 43P1
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर